राजस्थान–सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान,जयपुर

क्रमांक प.2(4)सीधी भर्ती(कनि.सहा.)आ.कृ/ 4930-34 दिनांक : 26/6/2020

सूचना

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999 के अनुसरण में राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों में लिपिक ग्रेड–II (कनिष्ठ सहायक) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2013 मे उर्तीण अभ्यार्थियों में से प्रशासनिक सुधार (अनु0–3) विभाग, जयपुर के पत्रांक पं.1(6)प्र.सुं./अनु–3/2017 दिनांक 16.06.2020 एवं पत्रॉक पं.1(2)प्र.सुं./अनु–3/2020 दिनांक 18.06.2020 के द्वारा इस विभाग को नियुक्ति हेतु आवंटित अभ्यार्थियों (NON TSP) के दस्तावेजों के सत्यापन हेतु निम्न दस्तावेजों की स्वयं द्वारा प्रमाणित एक–एक प्रतियों सहित दिनांक 06.07.2020 को सभा कक्ष, प्रथम तल, कृषि आयुक्तालय पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर में प्रातः 10.00 बजे आप उपस्थित होवें। दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को कोई यात्रा भत्ता देय नही होगा। निर्धारित स्थान, दिनांक व समय पर उपस्थित नही होने की स्थिति में अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करने की कार्यवाही विभाग द्वारा की जावेगी। निर्धारित दिनांक को मूल दस्तावेजों के सत्यापन एवं नियमानुसार अन्य शर्ते पूर्ण करने पर तथा राज्य सरकार के पूर्ण रूप से संतुष्ट होने पर, नियुक्ति आदेश पृथक से जारी किये जावेगें।

दस्तावेजो की सूची :–

1. शैक्षणिक योग्यता सत्यापन हेतु मूल अंकतालिका/प्रमाण पत्र।
2. जन्मतिथि के सत्यापन हेतु – सैकेण्डरी उत्तीर्ण की अंकतालिका/प्रमाण पत्र या अन्य संबंधित मान्य दस्तावेज।
3. पूर्वाचरण प्रमाण पत्र (Verification of antecedents Certificate) (जन्म से अब तक) जो संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी हो जो कि यदि निर्धारित दिनॉक को उपलब्ध ना हो तो कार्यग्रहण से पूर्व संबंधित कार्यालय में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने पर (कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं होने की स्थिति में) ही नियुक्ति मान्य होगी।
4. राजस्थान सेवा नियमों के नियम 11 के अन्तर्गत निर्धारित स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, जो प्रमुख चिकित्सा अधिकारी (PMO) तथा उससे उच्च पद के चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा जारी किया गया हो किन्तु महिलाओं के संबंध में किसी भी राजकीय महिला चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र स्वीकार्य होगा। **(प्रारूप–अ)**
5. मूल निवास प्रमाण पत्र।
6. वर्ग सत्यापन हेतु : अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछडी जाति, विशेष पिछडी जाति, सहरिया आदिम जाति का सक्षम स्तर से जारी वैद्य प्रमाण पत्र।
7. पृथक–पृथक राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी दो नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र।
8. अविवाहित (पुरूष एवं महिला) की स्थिति में स्व–हस्ताक्षरित घोषणा।
9. विवाहित होने की स्थिति में, यदि विवाह दि0 22.05.2006 के बाद हुआ हो तो राज्य सरकार की अधिसूचना दि0 22.05.06 के अनुसार विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र।
10. राज्य सरकार की विज्ञप्ति दि0 20.06.2001 के तहत संतान संबंधी घोषणा **(प्रारूप–ब)**
11. आपराधिक/सजायाफ्ता नहीं होने/तम्बाकू उत्पादों का सेवन नहीं करने इत्यादि से संबंधित स्व–हस्ताक्षरित घोषणा पत्र **(प्रारूप–स)**
12. दहेज नहीं लेने/नहीं लिया संबंधी स्व–हस्ताक्षरित घोषणा पत्र **(प्रारूप–द)**

13. राजस्थान सेवा नियम पार्ट–II के परिशिष्ठ 18–(ख) के अनुसार स्व–हस्ताक्षरित बंध–पत्र, जो लगभग दो लाख से कम का नहीं हो **(प्रारूप–य)**
14. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अंकित नाम / उपनाम तथा शैक्षणिक योग्यता एवं जन्मतिथि के दस्तावेजों में अंकित नाम / उपनाम, जन्मतिथि आदि में यदि भिन्नता हो तो वांछित दस्तावेज।
15. राजस्थान सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम 1988 के नियमो के प्रावघानों के अनुसार चयनित भूतपूर्व सैनिकों की सूचना। EX-Service Man होने का निम्न में से कोई एक प्रमाण पत्र :–

– पेंशन उपार्जित करके सेवानिवृत हुआ हो।
– चिकित्सीय आधारो पर सेवा से निमुक्त किया गया हो।
– अपने स्वंय के अनुरोध अथवा संस्थान मे कटौति के कारण निमुक्त किया गया हो।
– कदाचार अथवा अक्षमता के कारण पदच्युति भी सेवोन्मुक्ति के कारण उक्त सेवा से निमुक्त हुआ हो और जिसे सेवानिवृत्त उपादान दिये गये हो।
– प्रादेशिक थल सेवा के लिए निम्नलिखित प्रवर्गो के कार्मिक भी सम्मिलित है अर्थात्–
    – लगातार इम्बाडित सेवा के पेंशन धारक।
    – सैन्य सेवा के लिए निर्धारित नियोक्ता वाले व्यक्ति।
    – वीरता पुरस्कार विजेता।

16. विधवा कोटे मे चयनित महिला को अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं पुनर्विवाह नही किया गया है, इस आशय का स्व–हस्ताक्षरित घोषणा पत्र।
17. परित्यक्ता महिला कोटे मे चयनित महिला को सक्षम न्यायालय के निर्णय की सत्यापित प्रति।
18. निःशक्त कोटे मे चयनित अभ्यार्थियो को राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियो के नियोजन नियम, 2011 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का प्रमाण पत्र, जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता का हो।

संलग्नः–परिशिष्ठ–अ,ब,स,द,य एवं अभ्यर्थियों की सूची

26.6.20

(डॉ. ओमप्रकाश)
आयुक्त, कृषि

क्रमांक प.2(4)सीधी भर्ती(कनि.सहा.)आ.कृ/4930-34 दिनांक : 26/6/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. उप शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग, राज0 जयपुर को उनके पत्रॉक पं. 1(6)प्र.सुं. / अनु–3 / 2017 दिनांक 16.06.2020 एवं पत्रॉक पं.1(2)प्र.सुं. / अनु–3 / 2020 दिनांक 18.06.2020 के क्रम में।
2. एसीपी कम्पयूटर शाखा मु0 जयपुर को वेबसाइट पर अपलोड करने के लिये प्रेषित है।
3. केयर टेकर, मुख्यालय।
4. निजी / आरक्षी पत्रावली।

(सीताराम जाट)
संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)

स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
(राजस्थान सेवा नियम 10)

मैं एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूं कि मैंने श्री .... जो कि **कृषि विभाग, राजस्थान सरकार** में **कनिष्ठ सहायक** के पद पर नियुक्ति के लिए प्रत्याशी है, शारीरिक स्वास्थ्य की परीक्षा की है तथा मुझे .... के अतिरिक्त ऐसी कोई बीमारी (जो उल्लेखनीय अथवा अन्यथा प्रकार की हो) शारीरिक निर्बलता या दोष प्रतीत नही हुआ है। मैं **कृषि विभाग** में उसे नियुक्ति के लिए अयोग्य नही समझता।

हस्ताक्षर सक्षम चिकित्सा अधिकारी
मय सील

प्रारूप–ब

कार्मिक विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक प.7(1)डी.ओ.पी./क–2/95 दि0 20.6.2001 के क्रम में संतान संबंधी घोषणा

मै .... पुत्र/पुत्री...

निवासी .... एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि दिनांक 31.05.2002 तक मेरे बच्चो (पुत्र/पुत्री) की संख्या . ... थी। विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	नाम	संबंध	जन्मतिथि
1			
2			
3			
4			
5			

दिनांक 01.06.2002 को अथवा इसके पश्चात् मेरे बच्चो की संख्या में वृद्धि हुई है/नही हुई है एवं वर्तमान में बच्चों (पुत्र/पुत्री) की कुल संख्या .... है। विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	नाम	संबंध	जन्मतिथि
1			
2			
3			

जो लागू नहीं हो, उसे काट दें।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

नाम :